FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा

कैलाशचन्द्र बलाई पिता शंकर लाल बलाई निवासी पण्डेरी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।	बनाम	नंदा पिता चंद्रा उर्फ भगवाना रेगर निवासी नंदराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा वगैरह।
– प्रार्थीगण		–अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्या : 70/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2023	प्रकरण दर्ज रजिस्टर करें। विपक्षी को नोटिस जारी करें। पत्रावली सुनवायी हेतु दिनांक 04.08.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
04.08.2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों/आधार से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में जैरकार प्रकरण संख्या 33/2021 वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अन्य न्यायालय में स्थानांतरण करने के संबंध में कोई विशिष्ट आधार प्रतीत नहीं होते है एवं वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के पद पर नवीन पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) का पदस्थापन हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरण का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	